[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-23/2019 dated 14 -02-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 06/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th February, 2020

No. EXN-F(10)-23/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Himachal Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, in respect of the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 for the class of registered person whose principal place of business is in Himachal Pradesh, till 7th February, 2020.

By order,
SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 7 / 2020—राज्य कर

शिमला—2, 14 फरवरी, 2020

सं0 ई. एक्स.एन.—एफ.(10)—23 / 2019.——आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 44 / 2019—राज्य कर तारीख 01 नवम्बर, 2019 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सं0 ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—22 / 2019 के तहत तारीख 04 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी, ऐसे करदाताओं जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन पांच करोड़ रुपए तक हो, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान राज्य में है, इलेट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 24 फरवरी, 2020, 24 मार्च, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"

आदेश द्वारा
संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।